



प्रेस विज्ञप्ति

26/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने" वन्यजीव मामले "में धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत52 . 49लाख रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कृषि भूमि और राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया , एल्विश यादव और मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक जमाराशि के रूप में हैं।

ईडी ने नवंबर 2023 और मार्च 2024 में नोएडा पुलिस और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन ,हरियाणा द्वारा भा.दं.सं ,.1860 ,वन्यजीव) संरक्षण (अधिनियम ,1972 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम ,1985 की विभिन्न धाराओं के तहत एल्विश यादव ,राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया और अन्य के खिलाफ दर्ज 02 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। पहली प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि नोएडा पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पार्टियों के लिए सांप और सांप के जहर की आपूर्ति करने वाले एजेंटों को पकड़ा था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। दूसरी प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि राहुल उर्फ फाजिलपुरिया और एल्विश यादव ने अवैध रूप से संगीत वीडियो और ब्लॉग में सांपों का इस्तेमाल किया और वन्य जीवन के खिलाफ क्रूरता की।

ईडी की जांच से पता चला है कि राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया और एल्विश यादव ने फॉलोअर्स बढ़ाने और पैसे कमाने के उद्देश्य से कमर्शियल म्यूजिक वीडियो और ब्लॉग बनाने में सांपों की संरक्षित प्रजातियों ,इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। आगे की जांच से पता चला कि ये म्यूजिक वीडियो मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे और फिर इन वीडियो को राजस्व कमाने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था।

ईडी ने इस गतिविधि से जुड़ी आपराधिक आय की पहचान की है और राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया ,एल्विश यादव और मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की चल और अचल दोनों संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।